

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 1538 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, नवम्बर, 20, 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय-

जनपद चमोली में अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/20189/2016.

संदर्भ:-

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 1820/12-1 दिनांक, 09.11.2017.

महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रकरण में वांछित आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:

क्र.सं	प्रस्ताव में लगे कतिपय कमियाँ	कमियों का निराकरण
1.	Approximate distance of proposed diversion area from the boundary of forest towards inside the forest is not filled in online Part II.	(Answer of eds pont no- 1) पार्ट II में Sr. no- 7 में प्रस्तावित भूमि से वन भूमि सीमा की दूरी भर दी गई है।
2.	User agency may fill the details of cost-Benefit analysis for the project in new format .	(Answer of eds pont no- 2) लागत-लाभ विश्लेषण नये फॉरमेट में तैयार कर ऑनलाईन Part I, Para G (a) में अपलोड कर दिया गया है। Uploaded at Part I Sr no- G (a)
3.	Employment details provided in online part-I appears incorrect. The user agency may review the same and provide correct details.	(Answer of eds pont no- 3) लागत-लाभ विश्लेषण के अनुसार ऑनलाईन Part-I para E(iii) में संशोधन कर लिया गया है। Updaded at Part I- E (iii)
4.	Please upload proper and detaied justification for the proposed project in forest area.	(Answer of eds pont no- 4) लाभान्वित ग्रामों हेतु पूर्व में कोई भी सड़क संयोजकता उपलब्ध नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों एवं विभाग द्वारा किये गये विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात उक्त एकमात्र संरक्षण ही उपयुक्त पाया गया है, जिसमें 4.895 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। जिसका विस्तृत औचित्य ऑनलाईन Part-I Para D(i) में अपलोड कर दिया गया है। Upload at Part I- Para D(i)
5.	Upload copy of non encumbrance certificate for the forest land in serial-h is erroncus.	(Answer of eds pont no- 5) क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का वट्टा किये जाने का प्रमाण पत्र ऑनलाईन Part-I Para L (iv) (h) में अपलोड कर दिया गया है।
6.	The applicant details does not match with the authority letter issued to filled online form.	(Answer of eds pont no- 6) संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाईन Part-I, para A-3(xvii) में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जी०के०रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1820/12-1

, गोपेश्वर,

दिनांक

09/11

2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,

पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

ई0डी0एस0 दिनांक 07.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में लगे कतिपय कमियों का निराकरण अधिसूची अभियन्ता, निर्माण खण्ड,

लोक निर्माण विभाग, थराली के पत्र सं0 1947/36 सी दिनांक 03.11.2017 से निम्नानुसार प्रेषित किया गया है -

क्र0 सं0	प्रस्ताव में लगे कतिपय कमियां	कमियों का निराकरण
1.	Approximate distance of proposed diversion area from the boundary of forest towards inside the forest is not filled in online Part II.	(Answer of eds pont no- 1) पार्ट II में Sr. no- 7 में प्रस्तावित भूमि से वन भूमि सीमा की दूरी भर दी गई है।
2.	User agency may fill the details of cost-Benefit analysis for the project in new format.	(Answer of eds pont no- 2) लागत-लाभ विश्लेषण नये फॉरमेट में तैयार कर ऑनलाईन Part I, Para G (a) में अपलोड कर दिया गया है। Uploaded at Part I Sr no- G (a)
3.	Employment details provided in online part-I appears incorrect. The user agency may review the same and provide correct details.	(Answer of eds pont no- 3) लागत-लाभ विश्लेषण के अनुसार ऑनलाईन Part-I para E(iii) में संशोधन कर लिया गया है। Uploading at Part I- E (iii)
4.	Please upload proper and detailed justification for the proposed project in forest area.	(Answer of eds pont no- 4) लाभान्वित ग्रामों हेतु पूर्व में कोई भी सड़क संयोजकता उपलब्ध नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों एवं विभाग द्वारा किये गये विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात उक्त एकमात्र संरक्षण ही उपयुक्त पाया गया है, जिसमें 4.895 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। जिसका विस्तृत औचित्य ऑनलाईन Part-I Para D(i) में अपलोड कर दिया गया है। Upload at Part I- Para D(i)
5.	Upload copy of non encumbrance certificate for the forest land in serial-h is erroneous.	(Answer of eds pont no- 5) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का बहन किये जाने का प्रमाण पत्र ऑनलाईन Part-I Para L (iv) (h) में अपलोड कर दिया गया है।
6.	The applicant details does not match with the authority letter issued to filled online form.	(Answer of eds pont no- 6) संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाईन Part-I, para A-3(xvii) में अपलोड कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर